बिहार सरकार

योजना एंव विकास विभाग

(अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय)

पत्रांक: जी० सा० मृ० प्र०-1/2008/पटना, दिनांक 2011

प्रेषक,

अवध किशोर सिन्हा,
संयुक्त निदेशक (जी.)
-सह-
मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) ।

सेवा में,

निदेशक,
सूचना एंव जन-सम्पर्क विभाग,
बिहार, पटना ।

विषय: **अभिरुचि की अभिव्यक्ति (EOI) प्रकाशित करने के संबंध में ।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय का संदर्भित संलग्न अभिरुचि की अभिव्यक्ति (EOI) अति महत्वपूर्ण है। संबंधित सी.डी. के साथ छः प्रतियों में विज्ञापन संलग्न है।

अतः अनुरोध है कि प्रमुख समाचार पत्रों में एवं वेबसाईट www.prdbihar.gov.in पर विज्ञापन प्रकाशित करायी जाय तथा विभाग को भी अवगत कराया जाय।

विश्वासभाजन

ह0/-
संयुक्त निदेशक (जी.)
-सह-
मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु)।

ज्ञापांक- 2027 दिनांक- 4.11.11

प्रतिलिपिः- आई0टी0 मैनेजर, अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना को प्रेषित । निदेशित किया जाता है कि निदेशालय के वेबसाईट http://dse.bih.nic.in पर इस EoI को प्रसारित कर कृत कार्रवाई से अद्योहस्ताक्षरी को अवगत कराया जाय ।

4.11.2011

संयुक्त निदेशक (जी.)
-सह-
मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु)।

बिहार सरकार

योजना एंव विकास विभाग

(अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय)

निदेशालय के प्रपत्रों /प्रकाशनों /रिपोर्ट के आवागमन के लिए अभिरुचि की अभिव्यक्ति (EoI) हेतु आमंत्रण

अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना के अंतर्गत विभिन्न प्रपत्रों, खाली अनुसूचियों तथा विभिन्न प्रकार के प्रकाशनों को सभी प्रमंडलीय, जिला एवं क्षेत्रीय कार्यालयों में भेजने हेतु तथा उक्त कार्यालयों के भरे हुए सभी प्रतिवेदनों को पुनः अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना में पहुँचाने हेतु योग्य एजेंसी/ट्रांसपोटरों/प्रतिष्ठानों की आवश्यकता है। इस कार्य को करने वाले एजेंसी/ट्रांसपोटरों/प्रतिष्ठान अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बैरक न.-17, मुख्य सचिवालय, बिहार, पटना के जीवनांक प्रशाखा से **Supplier Profile Form** का हार्ड कॉपी प्राप्त कर अथवा निदेशालय के वेवसाईट **http://dse.bih.nic.in** पर उपलब्ध **Supplier Profile Form** डाउनलोड कर इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 10 दिनों के भीतर अपनी अभिरुचि की अभिव्यक्ति (EoI) रजिस्ट्री डाक से निम्न पते पर अचूक रुप से भर कर भेज दें:-

संयुक्त निदेशक (जी.)
अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय,
बैरक न.-17, मुख्य सचिवालय,
बिहार, पटना-800015

सभी प्राप्त EoI की प्राप्ति तिथि एवं समय के क्रमानुसार सूचीबद्ध (empanel) की जायेगी। उसी सूची से (Panel) तदुपरान्त बंद-निविदा (Close Tender) निकाला जायेगा।

Terms & Conditions

i. प्रेषित सामान खण्ड भार (Part Load) रुप से भेजा जायेगा। करार के शर्त्तो तथा उपबन्धों के आधार पर भुगतान किया जायेगा।

ii. प्रपत्रों/अनुसूचियों/प्रकाशनों इत्यादि को निदेशानुसार संबंधित प्रमंडलों/जिलों/प्रखंडों तक 36 घंटों के अन्दर कार्यालय अवधि 10.00 बजे पूर्वाह्न से 5.00 बजे अपराह्न के दौरान पहुँचाना होगा।

iii. प्रेषित सामान का प्राप्तकर्त्ता प्रमंडलीय उप निदेशक (सांख्यिकी), जिला सांख्यिकी पदाधिकारी या जिला/प्रखंड स्तर के कोई नामित पदाधिकारी होंगे। संबंधित प्रमंडलीय उप निदेशक (सांख्यिकी), जिला सांख्यिकी पदाधिकारी इसके नोडल पदाधिकारी होंगे।

iv. अधूरा/अपूर्ण फॉर्म तथा अंतिम तिथि के पश्चात् प्राप्त आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।

v. विगत 3 वर्षो का CA द्वारा अंकेक्षित वित्तीय विवरणी Supplier Profile Form के साथ संलग्न करना अनिवार्य है जिसके बिना EoI अधूरा माना जायेगा।

vi. काली सूची में दर्ज प्रतिष्ठानों/एजेन्सियों का प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया जायेगा।

vii. इस प्रस्ताव के साथ प्रतिष्ठानों/एजेन्सियों को एक वर्ष के लिए सूचीबद्ध (Empanel) किया जायेगा।

viii. किसी भी प्रस्ताव को बिना कारण बताये अस्वीकृत करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को रहेगा।

ix. सभी परिवाद का फैसला पटना न्यायालय में होगा।

x. सभी सामानों को गंतव्य स्थान तक पहुँचाने एवं लाने की सम्पूर्ण जिम्मेदारी चयनित प्रतिष्ठान/एजेन्सी की होगी। किसी भी कारण से कार्य पूर्ण नहीं किये जाने पर प्रतिदिन Consignment मूल्य का अधिकत्तम 10 प्रतिशत राशि विलम्ब शुल्क के रूप में वसूला जायेगा एवं संगत कानूनी कार्रवाई की जायेगी।

xi. अभिरुचि का प्रदर्शन मात्र किसी रुप में निविदा प्रक्रिया में शामिल होने योग्य अहर्त्ता नहीं मानी जायेगी।

xii. करार के अनुसार कार्य नहीं करने वाले प्रतिष्ठान को हटाकर दूसरे प्रतिष्ठान को कार्य देने का अधिकार अधोहस्तक्षरी को होगा।

xiii. विस्तृत जानकारी के लिए वेवसाईट http://dse.bih.nic.in एवं www.prdbihar.gov.in पर देखा जा सकता है।

4.11.2011

संयुक्त निदेशक (जी.)

-सह-

मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु)।